निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या FR-94 वर्ष 2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी भी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी** के माह 04/2017 से माह 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री निखिल गोस्वामी, स.ले.पे.अ.(तदर्थ), श्री अंशुमन अग्रवाल एवं श्री गोविन्द कुमार सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 27.10.2018 से 05.11.2018 तक श्री हिमांशु मणि, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में संपादित किया गया था।

<u>भाग-I</u>

1. **<u>परिचयात्मकः</u>** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री एफ.आर.खान व.ले.प एवं श्री अंशुमन अग्रवाल एवं गोविन्द कुमार सिंह सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 05.12.2017 से 16.12.20147 तक श्री हिमांशु मणि, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में संपादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 07/2015 से 03/2017 तक एवं व्यय हेतु माह 07/2015 से 03/2017 के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 04/2017 से 03/2018 तक एवं व्यय हेतु माह 04/2017 से 03/2018 के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: मसूरी वन प्रभाग के वन क्षेत्र (39.072 है. में वन संरक्षण के कार्यों का निर्वाहन)

3. (ii) (अ) **<u>राजस्व का विवरणः</u>** विगत तीन वर्षो में कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का **ब्यौरा** निम्नवत है :

वर्ष	अर्जित राजस्व (रू लाख में)
2015-16	108.85
2016-17	110.84
2017-18	107.63

(ii) (ब) बजट का विवरण

विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः (₹ लाख में)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष (` लाख में)**		**स्थपना**		**गैर स्थापना (` लाख में)**		**आधिक्य (+)**	**बचत (-)**	
	स्थापना	**गैर स्थापना**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**		स्थापना	गैर स्थापना
2015-16	-	-	225.6	225.5	636.80	632.81	-	0.10	3.78
2016-17	-	-	223.1	213.24	639.90	686.35	-	9.86	7.54
2017-18	-	-	275.81	265.19	792.76	786.33	-	6.62	6.42

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः (₹ लाख में)

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रा0 अ0**	**प्राप्त**	**व्यय**	**बचत(-)/ आधिक्य (+)**
2015-16	इन्टेसिफिकेशन आफ फारेस्ट मैनेजमेन्ट	-	35.19	35.19	
2016-17	"		34.83	34.83	
2017-18	"		53.98	49.71	4.27

इकाई को बजट आवंटन शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई ए श्रेणी की है।

(iii) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव- प्रमुख वन संरक्षक- मुख्य वन संरक्षक- वन संरक्षक- उप वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा

रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-

माह सितम्बर, 2017 को विस्तृत जांच हेतु (राजस्व) चयनित किया गया।

माह मार्च 2018 को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

योजना का चयन: यदि हो तो ....-.......

का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन .... (प्रतिचयन विधि का नाम अंकित किया जाय) के आधार पर किया गया।

(Vii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एवं लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>व्यय से संबन्धित</u>

भाग 2 ब

प्रस्तर- 1वृक्षारोपण पर निष्फल व्यय ₹41.60लाख।

कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखंड देहरादून के पत्र संख्या 9-273 /7-1 दिनांक 8 अगस्त 2017 द्वारा मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण मूल्यांकन एवं ऑडिट देहरादून उत्तराखंड के द्वारा मसूरी वन प्रभाग, मसूरी के विभिन्न रेंजों की अनुश्रवण एवं मूल्यांकन रिपोर्ट के संबंध में कम सफलता प्रतिशत के संबंध में कारण अवगत कराने हेतु कहा गया है।

जिसके अनुसार प्रभाग में क्रमश वर्ष 2011-12एव वर्ष 2012-13 एव वर्ष 2016-17 में विभिन्न रेंजों में रोपित पौध का शासनादेश संख्या-98/14, प0भू0वि० दिनांक 07.01.1994 के मानको के अनुसार सफलता का प्रतिशत नहीं रहा।

अतः निम्नलिखित विवरण के अनुसार निम्न रेंज में निर्धारित मानक के अनुसार सफलता प्रतिशत नहीं रहा जिससे ₹4160185का निष्फल व्यय हुआ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर प्रभाग ने अवगत कराया की विगत वर्षो में विभिन्न जैविक तथा अजैविक दबाबों के कारण वृक्षारोपण की सफलता प्रतिशत कम रहा है।अतः वृक्षारोपण पर किया गया व्य्य 4160185 निष्फल रहा।

अतः वृक्षारोपण पर निष्फल व्य्य ₹**41.60** लाख का प्रकरण उच्च अधिकारियों के स्ज्ञान में लाया जाता है।

क्रम संख्या	रेंज का नाम		योजना का नाम					सफलता प्रतिशत/ मानक प्रतिशत		
1	केंटी		13वा वित्त आयोग					36.27% /45%		

2	रा य पु र	[illegible]	कै म्प		[illegible]	[illegible]	[illegible]	36% / 45%		
3	दे व ल स री	[illegible]	कै म्प		[illegible]	[illegible]	[illegible]	82.60% / 95%		
4	कें ए्टी	[illegible]	कै म्प		[illegible]	[illegible]	[illegible]	32% / 45%		

5	दे व ल स री		अ र क्षि त सि वि ल से य म व नों क वि क स					18% / 35%		
6	दे व ल स री		कै म्प					16.36% / 35%		

7	देवलसरी		13 वां वित्त आयोग					26.18%/ 45%		
8	कैम्पटी		कैम्प					15.00% /35%		

9	भद्रीगाड़		स्पेशल कम्पनेंट प्लन					15.00% /35%		
10	जौनपुर		कैम्प					24.51% /45%		

11	बिनोग	[illegible]	ए० एन० अर० पार्क एवं पक्षी विहारों क विकस		[illegible]	[illegible]	[illegible]	23.00% /45%		
12	भद्रीगाड़	[illegible]	कैम्प		[illegible]	[illegible]	[illegible]	12.65% /35%		

1 3	जौनपुर		अरक्षित सिविल सेयम वनों क विकस					12.14% /35%		
1 4	देवलसरी		कैम्प (वन जम					22.10% /45%		

			क्षतिपूरक)							
15	भद्रीगाड़		कैम्प					18.40% /45%		
16	देवलसरी		कैम्प (बौनी प्रजाति)					18.00% /45%		

17	कैम्पटी		कैम्प (वन जमा क्षतिपूरक)					16.20% /45%		
18	देवलसरी		कैम्प					16.00% /45%		

19	भद्रीगाड़			रोजगार परक योजना					5.76%/ 35%		
20	रायपुर			अरक्षित सिविल सेयम वनों क विकस					5.00%/ 35%		

21	कैम्पटी		कैम्प					62.43% /95%		
22	भद्रीगाड़		कैम्प (बौनी प्रजति)					12.18% /45%		
23	भद्रीगा		कैम्प					6.00%/45%		

	ड़		(वन जमा क्षतिपूरक)							
									योग	

भाग-2 (ब)

प्रस्तर-2 ₹46.12लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न किया जाना।

प्रभाग के लेखा अभिलेखों की जांच में पाया गया किप्रभाग द्वारा जाइका तथा एफ॰ डी॰ ए॰ योजना के अंतर्गत वर्ष 2017-18 में विभिन्न वन पचायतों को क्रमश ₹ 31.96 लाख तथा ₹14.16 लाख के धनराशि उपलब्ध कराई गयी थी। (संलग्न्क 1 एवं संलग्नक 2) लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया की उक्त धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र वर्तमान में प्रभाग में उपलब्ध नहीं है।

उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा उत्तर दिया गया कि उक्त धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे है प्राप्त होने पर लेखापरीक्षा को उपलब्ध करा दिये जाएंगे।

अतः उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर संप्रेक्षा में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित रहेगा।

भाग–2 (ब)

प्रस्तर3ः वन जमा मद में धनराशि का अवरोधन।

वनविभाग के अंतर्गतवनउत्पाद के विक्रय से प्राप्तआरक्षितवनों की धनराशि को विभाग के राजस्व मुख्य शीर्ष 0406 में चालान द्वारा जमा कर दिया जाता है तथा अनारक्षित वनों के उत्पादों से प्राप्त धनराशि का सम्बन्धित व्यक्ति/संस्थामें उनके अंश के अनुसार वितरित कर दिया जाता है।

विभाग के वन मा पंजिका (far-23) के अन्तर्गत **जमा की** गई धनराशि से सम्बन्धित मदों **के** लेखा अभिलेखों की जांच में पाया गया कि माह मार्च, 2015 से पूर्व से ₹ 25.21 लाख वन जमा में अवरूद्ध था जो मुख्यतः खनन पुनर्वास योजना, विधायक निधि से वनीकरण,सि.लौ. सं-3/1 से वनीकरण, वन विश्राम भवनों से प्राप्त आय, क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं मुनारा निर्माण से संबन्धित था। जाँच में सम्प्रेक्षा द्वारा पुनः पाया गया कि लेखाशीर्ष में पड़ी रायल्टी धनराशि का वितरण, वन नियमावली 2005 के अनुसार सम्बन्धित व्यक्ति संस्था को नहीं किया गया तथा यह धनराशि उक्त लेखाशीर्ष में अनावश्यक अवरूद्ध पड़ी थी।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों की पुष्टि करते हुए बताया गया कि धनराशि अनेक वर्षों तक व्यय न किया जाने के कारण वित्त विभाग द्वारा फ्रीज़ कर दी गयी थी जिसे वित्त विभाग की अनुमति प्राप्त करते ही उपभोग किया जा सकता है।

इस प्रकार वन जमा मद में **पिछले 3 वर्ष से अधिक समय से** ₹25.21लाख के अवरोधन का प्रकरण **उच्चाधिकारियों के** संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2 (ब)

प्रस्तर-4 3विभाग में स्वीकृत पद के सापेक्ष अधिक वन दरोगाओ एवं वन क्षेत्राधिकारियों की तैनाती के कारण अनियमित व्यय ₹10.82 लाख।

कार्यालय उप वन संरक्षक,मसूरी वन प्रभाग, मसूरी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसारविभाग में वन दरोगा के 26 पद स्वीकृत है जिसके सापेक्ष वर्तमान में 44पद तैनात है एवं वन क्षेत्राधिकारी के 7 पद स्वीकृत है जिसके सापेक्ष वर्तमान में 9 पद तैनात है। इस प्रकार विभाग में स्वीक्रत पद के सापेक्ष 18 वन दरोगा एवं 02 वन क्षेत्राधिकारी अधिक तैनात है।

माह मार्च,2018की समाप्ति तक कुल ₹1082355 का वेतन प्रतिमाह अधिक तैनात कर्मचारियों पर व्यय किया गया था। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभागने उत्तर दिया कि संबन्धित वन दरोगाओ की पदोन्नति यही पर हुई है तथा जिसके पश्चात इनका ट्रॉन्सफर नहीं हुआ है एवं 2 वन क्षेत्राधिकारिओ की तैनाती उच्च स्तर से इस प्रभाग में की गयी है। विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अधिक तैनात वन दरोगाओ एवं वन क्षेत्राधिकारियों के ट्रॉन्सफर हेतु विभाग द्वारा प्रयास किया जाना चाहिए था।

अतः अनियमित व्यय ₹10.82 **लाख** का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

राजस्व से सम्बन्धित

भाग 2 ब

प्रस्तर 5- खनन प्रारम्भ न करने से प्रतिवर्ष रुपए 76.55 लाख के राजस्व की हानि।

मसूरी वन प्रभाग के आरक्षित वन क्षेत्र में खनन कार्यो हेतु सौंग नदी में 64 है0 वन भूमि (River bed) में उत्तरांचल शासन औद्योगिक विकास अनुभाग–1 के शासनादेश सं0 428/सात–1/138–ख/04 दिनांक 14–02–2005 द्वारा उपखनिज के संग्रहण की अनुमति प्रदान की गई। इस अनुमति के तहत सौंग नदी में उप खनिज के चुगान कार्य उत्तरांचल वन विकास निगम के माध्यम से 2005–06 से वर्ष 2008–09 तक चला। दिनांक 5–06–2009 को मै0 आरसी बनाम राज्यादि रिट पिटिशन सं0 34 पी0आई0एल0/2009 के केस में माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा खनन कार्यो पर अग्रिम आदेशों तक यह कहते हुए प्रतिबन्ध लगा दिया कि खनन से पूर्व इन प्रकरणो में एनवायरमेन्ट प्रोटेक्सन एक्ट 1986 के प्राविधानों के तहत अनुमति प्राप्त कर ली जाय। अतः, प्रभाग की कार्ययोजना (अवधि 2011-12 से 2020-21) के प्रस्तर 14.8.4 द्वारा द्वारा निर्दिष्ट किया गया कि सौंग नदी में उपखनिजो के विदोहन से पूर्व भारत सरकार के स्तर से वन संरक्षण अधिनियम 1980 एवं एनवायरमेन्ट प्रोटेक्सन एक्ट 1986 के प्राविधानों के तहत अनुमति प्राप्त करनी होगी एवं मा0 न्यायालय के आदेशों का पालन करना होगा। अतः उप खजिन चुगान के प्रस्तावों पर तदनुसार कार्यवाही की जायेगी। साथ ही, कार्ययोजना के प्रस्तर 24.3 की तालिका 24.2 में उक्त क्षेत्र में होने वाले खनन से प्रतिवर्ष 76.55 लाख राजस्व प्राप्त होने का आकलन किया गया।

प्रभाग की लेखापरीक्षा में पाया गया कि उक्त 64 हेक्टेयर क्षेत्र में उपखनिज चुगान हेतु प्रभाग द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया था जिससे कि प्रतिवर्ष ₹ 76.55 लाख राजस्व का नुकसान हो रहा था एवं वन क्षेत्र में बाढ़ से नुकसान होने एवं उक्त क्षेत्र से अवैध खनन होने एवं वन अपराधों को बढ़ावा होने की संभावना भी प्रबल थी।

इस विषय में इंगित किया जाने पर प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया कि उक्त क्षेत्र में खनन कार्य नहीं करवाया जा रहा था एवं इस विषय पर उच्च स्तर पर निर्णय लिए जाने की आवश्यकता थी। प्रभाग के उत्तर से लेखापरीक्षा निष्कर्षों की पुष्टि होती है।

अतः, ₹76.55 लाख के राजस्व के प्रतिवर्ष होने वाले क्षति का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2 ब

भाग-2 ब

प्रस्तर-6 जमानत जमा न जमा कराया जाना ₹214500/-

कार्यालय उपवनसंरक्षक, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी के जमानत जमा से संबन्धित प्राप्त सूचना की जांच में पाया गया कि निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा बकाया जमानत धनराशि जमा नहीं की गयी है।

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	निर्धारित धनराशि	जमा धनराशि	अवशेष धनराशि
1.	श्रीसार्थक रावत	वैयक्तिक सहायक	500	0	500
2.	श्रीसंदीप नेगी	कनिष्ठ सहायक	500	0	500
3.	श्रीसुधीर कुमार	कनिष्ठ सहायक	500	0	500
4.	श्रीअमित सिंह चौहान	कनिष्ठ सहायक	500	0	500
5.	श्रीअनूप राणा	वन क्षेत्राधिकारी	50000	30000	20000
6.	श्रीजगमोहन	वन क्षेत्रा	50	0	500

	जुवाठा	धिकारी	000		00
7.	श्रीसुभाष चन्द्र वर्मा	वन क्षेत्राधिकारी	50000	20000	30000
8.	श्रीमती पूनम कैन्थूला	वन क्षेत्राधिकारी	50000	0	50000
9.	श्रीमती शिप्रा शर्मा	वन क्षेत्राधिकारी	50000	0	50000
10.	श्रीवीरेन्द्र दत्त गौड	चौकीदार	500	0	500
11.	श्रीवीरेन्द्र दत्त जोशी	वनदरोगा	10000	4000	6000
12.	श्री जगमोहन रावत	वनदरोगा	10000	4000	6000
योग					**214500/-**

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा जमानत जमा प्राप्त करले खापरीक्षा को सूचित किए जाने का आश्वासन दिया गया है।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

लेखापरीक्षाद्वाराइंगितकिएजानेपरविभागद्वाराजमानतजमा
प्राप्तकरलेखापरीक्षाकोसूचितकिएजानेकाआस्वासनदियाग
याहै।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
54/2015-16	01	-	
124/2017-18	-	01,02,03,04,05,06,07	

व्यय से संबंधित: विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
29/2004-05	-	05	-
04/2005-06	02	04	-
2008-09	-	03	-
2010-11	01	-	-
15/2011-12	-	01,02,03	-
37/2013-14	-	01,02	-
124/2017-18	-	08,09	01,02,03,04

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1)राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

(2)व्यय से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य - टिप्पणी शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः
शून्य

2.**सतत् अनियमितताए: शून्य**

3.**लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0		नाम	पदनाम
1	श्री	कहकशां नसीम	वन संरक्षक
2	श्री	राजीव धीमान	वन संरक्षक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार (राजस्व), कार्यालय महालेखाकर (लेखापरीक्षा)-उत्तराखंड, देहारादून को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
राजस्व क्षेत्र